217
4.10

संख्या– /X–2–2018–12(50)2012

प्रेषक,

डॉ0 धीरज पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 09 जनवरी, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–27 अन्तर्गत राज्य सेक्टर योजना "इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य" हेतु स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या नि0 668/3–5(ई0टी0एफ0) दिनांक 28.09.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर योजना "**इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य**" हेतु आय–व्यय में स्वीकृत धनराशि ₹400.01 लाख में से शासनादेश सं0–1195/X–2–2017–12(50)2012 दिनांक 14.07.2017 द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की आवंटित धनराशि के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹300.00 लाख (₹तीन करोड़ मात्र) में से **₹290.00 लाख (₹दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)** निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार ₹ में)

लेखाशीर्षक	प्रस्तावित आवंटन
4406–वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय 01–वानिकी 101–वन संरक्षण और विकास 07–ईको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	
24–वृहद निर्माण कार्य	5667
42–अन्य व्यय	23333
योग	**29000**

(₹ दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)

1. धनराशि का व्यय मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के शासनादेश सं0–610/3(150)XXVII(1)/2017 दि0 30.06.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
2. सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वनीकरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य अन्य वनीकरण योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत न हो तथा कार्यों की Duplicity न हो।
3. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से कराया न हो।
4. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/ स्वीकृति ली जाय।

.....2

फैक्स/तत्काल

संख्या– /X–2/2017– 15(28)2015TC

प्रेषक,

आलोक कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, परिसर,
नैनीताल।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनॉक अक्टूबर, 2017

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिका संख्या–1867/2015 (एम/एस) विनोद चौफीन बनाम राज्यादि एवं उक्त याचिका के साथ सम्बद्ध याचिका संख्या–2734/2014 (एस0/एस0) सुबीर मारियो चौफीन बनाम राज्यादि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रश्नगत याचिका में शासन की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने हेतु प्रस्तरवार आख्या (संलग्नकों सहित) विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

2. कृपया, अनुरोध है, कि प्रश्नगत याचिका में शासन की ओर से प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव

संख्या– /X–2/2017– 15(28)2015TC तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वा वन प्रभाग, पौडी।

2–श्री अनिल रावत, वनक्षेत्राधिकारी, पौडी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वह मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल से सम्पर्क कर प्रतिशपथ–पत्र तैयार कराने का कष्ट करें।

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव

5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
7. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
8. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यो की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 638/XXX-1-12(25)/2011 दि0 08.12.2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाएगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जाएगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के पूँजीगत पक्ष में उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट **ID** संख्या–S1801270129 दिनांक 08.01.2018 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0संख्या–137/XXVII(4)/2016-17 दिनांक 08.01.2018 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्या– 2/93/X–2–2018–12(50)2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

09.01.18

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
अपर सचिव

C:/Rakesh mahar/2017-18/G.o doc

फैक्स / तत्काल

संख्या– /X–2/2017– 15(28)2015TC

प्रेषक,

आलोक कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, परिसर,
नैनीताल।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनॉक अक्टूबर, 2017

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिका संख्या–1867/2015 (एम/एस) विनोद चौफीन बनाम राज्यादि एवं उक्त याचिका के साथ सम्बद्ध याचिका संख्या–2734/2014 (एम0/एस0) सुबीर मारियो चौफीन बनाम राज्यादि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रश्नगत याचिका में शासन की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने हेतु प्रस्तरवार आख्या (संलग्नकों सहित) विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

2. कृपया, अनुरोध है, कि प्रश्नगत याचिका में शासन की ओर से प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव

संख्या– /X–2/2017– 15(28)2015TC तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वा वन प्रभाग, पौडी।

2–श्री अनिल रावत, वनक्षेत्राधिकारी, पौडी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वह मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल से सम्पर्क कर प्रतिशपथ–पत्र तैयार कराने का कष्ट करें।

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Forest (S016)

संख्या - 2193/X-2-2018-12(50)2012

संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1801270129

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र दिनांक -08-Jan-2018

लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01 - वानिकी

101 - वन संरक्षण और विकास

07 - इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य

00 - इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	3333000	5667000	9000000
42 - अन्य व्यय	6667000	23333000	30000000
	10000000	**29000000**	**39000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 29000000

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2017 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
33 क्या वन मंत्री अवगत है कि राज्य में 12168 वन पंचायतें गठित है, जिनके अधीन 7333.95 वर्ग किमी. क्षेत्रफल आता है?	जी हाँ।
क्या यह सत्य है कि प्रबन्धन हेतु वन विभाग की ओर से अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण वन पंचायतों के गठन का उद्देश्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है?	जी नहीं।
क्या सरकार वन पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी?	वन पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु वन पंचायतों में विभिन्न योजनायें यथा वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण योजना (कैम्पा पोषित), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (केन्द्र पोषित), वॉमैन कम्पोनेन्ट योजना, ग्रीन इण्डिया मिशन, जायका, कैट प्लान आदि पूर्व से गतिमान है।
यदि हां, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

(डॉ0 हरक सिंह रावत)
मंत्री